

अनुबन्ध 1
राज्य कैम्पा की अधिसूचना

क्र.सं.	राज्य	अधिसूचना
1	अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह	अगस्त 2009
2	आंध्रप्रदेश	सितम्बर 2009
3	अरुणाचल प्रदेश	अक्टूबर 2009
4	असम	अगस्त 2007
5	बिहार	जनवरी 2010
6	चण्डीगढ़	अगस्त 2009
7	छत्तीसगढ़	जुलाई 2009
8	दिल्ली	अक्टूबर 2009
9	गोवा	जनवरी 2010
10	गुजरात	अगस्त 2009
11	हरियाणा	जनवरी 2010
12	हिमाचल प्रदेश	अगस्त 2009
13	जम्मू-कश्मीर	अप्रैल 2011
14	झारखण्ड	अक्टूबर 2009
15	कर्नाटक	जून 2010
16	केरल	नवम्बर 2009
17	मध्यप्रदेश	उपलब्ध नहीं
18	महाराष्ट्र	सितम्बर 2009
19	मणिपुर	अगस्त 2009
20	मेघालय	दिसम्बर 2009
21	मिजोरम	अगस्त 2009
22	ओडिशा	अगस्त 2009
23	पंजाब	सितम्बर 2009
24	राजस्थान	नवम्बर 2009
25	सिक्किम	अगस्त 2009
26	तमिलनाडू	सितम्बर 2009
27	त्रिपुरा	अक्टूबर 2009
28	उत्तरप्रदेश	अगस्त 2010
29	उत्तराखण्ड	नवम्बर 2009
30	पश्चिम बंगाल	सितम्बर 2009

अनुबन्ध 2
लेखापरीक्षा क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य	लेखापरीक्षित यूनिटें
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	राज्य के छः वन मण्डलों से तीन (दक्षिण अण्डमान मण्डल, दिगलीपुर मण्डल तथा निकोबार)
2	आंध्रप्रदेश	21 मण्डल तथा मुख्यालय (पीसीसीएफ)
3	अरुणाचल प्रदेश	नौ मंडलों से पांच जिसको निधियां दी गई थी
4	असम	पीसीसीएफ एवं अध्यक्ष वन बल असम, सीसीएफ (कैम्पा) और नोडल अधिकारी तथा 45 राज्य वन मण्डलों से 23 मण्डल
5	बिहार	राज्य कैम्पा का कार्यालय और 22 राज्य वन मण्डलों से 10 डी एफ ओ (अररिया, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुजफ्फरपुर, नवादा तथा सहरसा)
6	चण्डीगढ़	संघराज्य क्षेत्र में दो वन यूनिटों से एक यूनिट
7	छत्तीसगढ़	वन मुख्यालय में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ), राज्य कैम्पा, मुख्य वन संरक्षक, भूमि प्रबन्धन (सीसीएफ, एलएम) (नोडल अधिकारी, एफसी अधिनियम) कार्यालय तथा 35 मण्डलों जहाँ कैम्पा निधियों से आवंटन किया गया था, से 18 (भानुप्रतापपुर (पूर्व), धमतरी, जंजगीर-चम्पा, काठघोडा, कौण्डागांव (दक्षिण) कोरबा, कोरिया, महासमुन्द, मानेन्दगढ़, मरवाही, रायगढ़ रायपुर, रायपुर (पूर्व) तथा सरगूजा (पूर्व तथा दक्षिण) क्षेत्रीय मण्डल विलासपुर, जगदलपुर, तथा रायपुर अनुसंधान और विस्तार मण्डल)। ये मण्डल साधारण यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर चयनित थीं।
8	दिल्ली	वनभूमि विपथन के 11 मामलों से 10 मामलों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई थी।
9	गोवा	11 डीसीएफ से छः (डीसीएफ (उत्तर), डीसीएफ (दक्षिण), डीसीएफ (कार्ययोजना), डीसीएफ (सामाजिक वानिकी) डीसीएफ (मृदा संरक्षण)
10	गुजरात	46 राज्य वन मण्डलों से 23
11	हरियाणा	राज्य कैम्पा कार्यालय और राज्य वन विभाग के 19 क्षेत्रीय कार्यालय। प्रोबेबिलिटी प्रपोर्सनल टू साईज विदाउट रिप्लेसमेंट (पीपीएसडब्ल्यू ओ आर) विधि अपनाकर कुल 36 यूनिटों से 19 का चयन किया गया था।
12	हिमाचल प्रदेश	राज्य कैम्पा कार्यालय और 46 राज्य वन मण्डलों से 23 (अनी, भारमौर, चम्बा, चूरा, डलहौजी, धर्मशाला, जोगिन्दर नगर, करसोग, किन्नौर, कोटगढ़, कुल्लू, (डब्ल्यूएल), मण्डी नाचन, निचार (सीएटी योजना), नूरपुर, पालमपुर पांगी, रामपुर, सरहन, (डब्ल्यूएल), शिमला (डब्ल्यूएल), शिमला (जू एण्ड रेस्क्यू), सुकेत)
13	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य कैम्पा कार्यालय और 45 राज्य वन मण्डलों से 22 मण्डल

क्र. सं.	राज्य	लेखापरीक्षित यूनिटें
14	झारखण्ड	पीसीसीएफ तथा मण्डल वन अधिकारी का कार्यालय तथा 52 राज्य वन मण्डलों से 26 (आदित्यपुर एसएफ (जमशेदपुर), बोकारो, चतरा उत्तर, चतरा दक्षिण, देवधर एसएफ, धनबाद, धलभूम (जमशेदपुर), गिरडीह, गिरिडीह वनरोपण गुमला, हजारीबाग पूर्व, हजारीबाग पश्चिम, हजारी बाग एस एफ, हजारीबाग डब्ल्यू एल, हजारी बाग वनरोपण, कोदरमा, कोदरमा एस एफ, रामगढ़, रांची पूर्व, रांची डब्ल्यू एल, रांची वनरोपण, रांची एस एफ, सिमदेश और सिमदेश एस एफ
15	कर्नाटक	एपीसीसीएफ के दो कार्यालय तथा 72 राज्य वन मण्डलों से 36 (बैंगलौर (यू), बैंगलौर (आर), रामनगर, कोलार, तुमकुर, हुनसुर (टी), मैसूर, बेलगाम, गोकक, करकला (डब्ल्यू एल), हासन, चिकमगलूर (टी), चिकमगलूर (उलयूएल), बेल्लारी, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, कुण्डपुरा, मंगलौर, मणिकेरी, बलेरघट्टा (डब्ल्यूएल), डण्डेली (डब्ल्यूएल), येलापुर, कारवाड, हलियाल, घारवाड, सागर, शिभोगा, (डब्ल्यूएल), गादग, गुलबर्गा, बांदीपुर (डब्ल्यूएल) भद्रावती, सिरसी, होन्नावर, मणिकेरी (डब्ल्यूएल), चामराजनगर (डब्ल्यूएल)
16	केरल	25 क्षेत्रीय मण्डलों से 15 और 11 वन्यजीव मण्डलों से 3
17	मध्यप्रदेश	एपीसीसीएफ का कार्यालय और 63 राज्य वन मण्डलों से 22 (बडवाहा, बालाघाट दक्षिण, बेतूल पश्चिम, छिंदवाड़ा पूर्व, छिंदवाड़ा पश्चिम, देवास धार, गुना ग्वालियर, जबलपुर, भाबुआ, कटनी, खण्डवा, मुरैना, रतलाम, सागर उत्तर, सागर दक्षिण, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली तथा विदिशा)
18	महाराष्ट्र	एपीसीसीएफ राज्य कैम्पा, सीसीएफ, भूमिप्रबन्धन तथा नोडल अधिकारी का कार्यालय 52 राज्य वन मण्डलों से 26
19	मणिपुर	डीएफओ के तीन मण्डल, सेनापति, पूर्वी वन मण्डल (उखरूल) तथा चार मण्डलों से डीसीएफ, पार्क तथा सेंक्चुरी
20	मेघालय	तीन क्षेत्रीय मण्डलों से दो क्षेत्रीय मण्डल (खासी हिल्स तथा जयन्तिया हिल्स)
21	मिजोरम	नोडल कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच
22	ओडिशा	पीसीसीएफ, क्षेत्रीय तथा वन्यजीव कार्यालय और 50 राज्य वन मण्डलों से 25
23	पंजाब	तीन वन्यजीव यूनिटें और राज्यवन मण्डलों की 18 यूनिटों का स्तरित यादृच्छिक नमूना विधि द्वारा चयन किया गया था।
24	राजस्थान	56 राज्य वन मण्डलों से 28 जहाँ आवंटन कैम्पा निधियों से किया गया था। इन मण्डलों का व्यय के आधार पर चयन किया गया था।
25	सिक्किम	10 राज्य वन मण्डलों से 5

क्र. सं.	राज्य	लेखापरीक्षित यूनिटें
26	तमिलनाडू	राज्य कैम्पा का कार्यालय और 22 राज्य वन मण्डलों से 13 (कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, दिनडुगल, कोदाइकनल्ल, करूर,सलेम,अचूर, कोयम्बटूर, नीलागिरीज (दक्षिण), नीलागिरीज (उत्तर), वैल्लोर, तिरुवन्नामलाई, तिरुपचड़) तथा छः राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों से 3 और 8 प्रशासनिक एवं अन्य कार्यान्वयक यूनिटें
27	त्रिपुरा	पीसीसीएफ का कार्यालय तथा 12 राज्य वन मण्डलों से छः
28	उत्तरप्रदेश	81 राज्य वन मण्डलों से 38 तथा दो वन्यजीव मण्डल
29	उत्तराखण्ड	37 राज्य वन मण्डलों से 19 (अल्मोडा वन मण्डल (एफडी), बागेश्वर एफडी, चम्पावत एफडी, पिथौरागढ़ एफडी, गढ़वाल एफडी, रुद्रप्रयाग एफडी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व एफडी, अलकनन्दा मिटटी संरक्षण एफडी, गौपश्वर देहरादून एफडी, मसूरी एफडी, उत्तरकाशी एफडी, उत्तरकाशी एफडी, मुनी की रेती एफडी, लैसडाउन एफडी, कोटद्वार, हरिद्वार एफडी, चकराता एफडी, कलसी सिविल एवं सोयम एफडी, पौड़ी मिटटी संरक्षण एफडी, कलसी मिटटी संरक्षण एफडी, रानीखेत तथा मिटटी संरक्षण एफडी, लैसडाउन)
30	पश्चिम बंगाल	राज्य कैम्पा कार्यालय और 24 राज्य वन मण्डलों से 12 जहाँ कैम्पा निधियों आवंटन किया गया था। इन मण्डलों का साधारण यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर चयन किया गया था।

अनुबन्ध 3

राज्य वन विभाग के पक्ष में प्रतिपूरक वनरोपण (सीए) के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा पहचानी गई गैरवन भूमि का हस्तान्तरण तथा परिवर्तन न करना

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	गैर वनभूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	आंध्र प्रदेश के नालगोंडा और गुंतुर जिलों में कृष्णा नदी के पार पुबलीचिंताल जलाशय योजना के निर्माण के लिए 1,157.20 हैक्टेयर वन भूमि का विपथन	1,157.20
2.	मै. जी वी के पावर (गोविंदवाल सहोई) लि मि. झारखण्ड के पक्ष में तुकीसुद नार्थ ब्लॉक जिला हजारबाग तथा रामगढ़ में आन्तरिक कोयला खान के लिए 374.87 है वन भूमि का विपथन	376.36
3.	छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में ओपन कास्ट/भूमिगत सुरंग योजना के लिए 188.33 हैक्टेयर वन भूमि (960.286 हैक्टेयर वास्तविक रूप से प्रस्तावित किया गया) का विपथन	188.33
4.	छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में ओपन कास्ट/भूमिगत सुरंग योजना के लिए 726.35 हैक्टेयर से 29.03.2006 को पहले से विपथत 188.33 हैक्टेयर का विपथन	588.97
Total	कुल	2,310.86

अनुबन्ध 4

गैरवन भूमि आरक्षित वन/सुरक्षित वन की घोषणा एवं अधिसूचना न करना

क्रम संख्या	योजना का नाम	गैरवन भूमि का क्षेत्र (है० में)
1	मै. जी वी के पॉवर (गोविंदवाल साहोई) लिमिटेड झारखण्ड के पक्ष में हजारीबाग और रामगढ़ टोकीसुद उत्तर ब्लॉक जिला में केप्टिव कोयला खान के लिए वन भूमि के 374.84 है० विपथन	376.36
2	मै. कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड, नई दिल्ली के पक्ष में गुजरात के भुज जिला में मुंडरा पर 4000 एम डब्ल्यू मेगा पॉवर योजना के लिए वन भूमि (धारा 4 वन भूमि) का 130.00 है० का विपथन	130.00
3	किओनझार जिला, उड़ीसा में लोह डॉ० सरोजिनी प्रधान के पक्ष में सिद्धमठ संरक्षित वन में 85.55 है० वन भूमि का विपथन	85.55
4	मै. टिस्को लिमिटेड, उड़ीसा के द्वारा लोह और मैगनीज अयस्क खनन के लिए किओनझार वन मंडल में गांव बामेबरी, जरीबहल इत्यादि में 145.329 है० को वन भूमि का विपथन	60.30
5	कानूनी वारिस श्री प्रबोध मोंहती द्वारा श्री एस. एन. मोंहती के जे एस टी माइन्स के लिए वन भूमि का विपथन	177.52
6	आंध्र प्रदेश के नामगौण्डा और गुंतुर में कृष्णा नदी के पार पुल्लीचिंताल जलाशय योजना के निर्माण के लिए 1,157.20 है० वन भूमि का विपथन	1,157.20
7	उड़ीसा के किओनझार जिला में, मै. टिस्को लिमिटेड के पक्ष में खादबांध लोह और मैगनीज अयस्क किओनझार वन मंडल के तीसरे नवीनकरण के लिए 653.15 है० वन भूमि (453.150 है० अनुमोदित क्षेत्र) का विपथन	317.00
8	मै० इस्पात गोदवरी लिमिटेड, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ के पक्ष में लोह अयस्क खन के लिए 110.00 है० वन भूमि वन विपथन	220.00
9	मध्य प्रदेश, मांडला जिला में कान्हा टाईगर रिजर्व, बफर क्षेत्र मंडल हेलन सिंचाई योजना के लिए हेलन नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए 149.330 है० वन भूमि का विपथन	149.33
10	चूना पत्थर खनन के लिए, मै० जेपी बालाजी सीमेंट योजना के पक्ष में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में कृष्णा मंडल के बुदवाड़ा संरक्षित वन में एस वार्ड सं. 376 (कोम्पट सं. 5-6) में 629.22 है० वन भूमि का विपथन	693.73
11	आंध्र प्रदेश, आदिलाबाद जिला में मै० सिंगरेनी कोजिरीज कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में खैरागुडा ओपनकास्ट योजना के लिए 140.30 है० वन भूमि का विपथन	140.30
12	छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में मै० प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में भूमिगत/ओपन कास्ट खनन योजना के लिए 726.35 है० वन भूमि (वास्तविक रूप से प्रस्तावित 960.29 है० से 29.3.2006 को पहले से विपथित 188.33 है०) का विपथन	777.30
13	आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी के पार इंदिरा सागर (पोलावरम) बहुउद्देशीय योजना के लिए 3,731.07 वन भूमि का विपथन	3,731.07
14	सिंगनेरी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में ओपन कास्ट कोयला खनन (ओ सी पी	175.69

क्रम संख्या	योजना का नाम	गैरवन भूमि का क्षेत्र (है० में)
	11 मानगुरु) के लिए खमाम जिला के प्लॉचा मंडल में 175.69 है० वन भूमि का विपथन	
15	राजस्थान के बूँदी जिला में मै० ए सी सी सीमेंट वर्क्स के पक्ष में लाखेरी चमोवली खान में चूना पत्थर के खनन के लिए प्रस्तावित 301.88 है० वन भूमि से 100 है० का विपथन	100.00
16	मै० इनरकोन (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में महाराष्ट्र के सतारा जिला में चवनेश्वर विंड फार्म योजना की स्थापना के लिए 163.12 है० वन भूमि का विपथन	163.12
17	झारखण्ड में मै० मिश्रीलाल जैन एंड संस कर्मपड़ा सुरंग के पक्ष में लोह अयस्क खनन के लिए खनन लीस के नवीकरण के लिए 49.20 है० पहले से ब्रोकन-अप वन भूमि का विपथन	49.20
18	उड़ीसा के किओनझार जिला में मै० टिस्कों लिमिटेड के पक्ष में किओनझार वन मंडल में लोह और मैगनीज अयस्क के खनन लिए गांव कांमरजोड़ा, जोड़ा, बांसपनी, और बैतरनी आर एफ में जोदा पश्चिम खानों के तीसरे नवीकरण के लिए 503.68 है० (अनुमोदित क्षेत्र 436.68 है०) वन भूमि का विपथन	250.00
19	मै० सुंजलोन एनर्जी लिमिटेड, गडग जिला, कर्नाटक के पक्ष में 75 एम डब्ल्यू विंड पॉवर योजना स्थापना के लिए गडग मंडल में कप्पटगुड्डा हिल्स 157.85 है० वन भूमि का विपथन	157.85
20	झारखण्ड, पाकुर जिला में, पानेम कोल माइन्स लिमिटेड के पक्ष में पानेम कैप्टिव कोयला खानों के लिए वन भूमि के 461.09 है० (अनुमोदित क्षेत्र 400.00 है०) का विपथन	461.09
21	महाराष्ट्र के धुले जिला में मै० सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में 225 एम डब्ल्यू विंड पॉवर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए वन भूमि के 212.52 है० का विपथन	212.52
22	खनन लीस के दूसरी बार नवीकरण के दौरान श्री रमेश प्रसाद साओ के द्वारा लोह अयस्क खनन के लिए, किओनझार जिला, उड़ीसा में बारबिल तहसील में गुझाली लोह अयस्क खानों में पहले से ही ब्रोकन-अप संरक्षित वन भूमि के 42.42 है० के इन-एडिशन ने अतिरिक्त वन भूमि के 209.54 है० का विपथन	209.54
23	कर्नाटक में मै० इनरकोन (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में बेलागोम जिला में रामदुर्गा सौंदती तालुक में विंड पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए वन भूमि के 215.55 है० का विपथन	215.55
24	कर्नाटक के जिले चित्रदुर्गा (होसदुर्गा रेंज/हिरियुर में मरिकानिव में 44.66 है०) और तुमकुर (बुक्कापटना रेंज के दासुदी आर एफ में 52.13 है०)	96.79
25	अतिरिक्त वन भूमि के 4.90 है० का विपथन पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय हाइड्रो इलैक्ट्रिक पॉवर कोरपोरेशन के पक्ष में तीसता लो-डैम प्रोजेक्ट स्तर-4 के निर्माण के लिए वन भूमि के 338.05 है० का विपथन	338.05
26	कर्नाटक के बेलागोम जिला में बेलागोम और बेलाहोंगल तालुक में 112 एम डब्ल्यू विंड पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए मै० इनरकोन (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में वन भूमि के 174.18 है० का विपथन	174.18

क्रम संख्या	योजना का नाम	गैरवन भूमि का क्षेत्र (है० में)
27	महाराष्ट्र के पूणे जिला में मै० इनरकोन (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में आंध्र लेक विंड पॉवर प्रोजेक्ट के लिए वन भूमि के 194.66 है० का विपथन	194.66
28	बोनाई वन मंडल, सुंदरगढ़ जिला, उड़ीसा में मै० संगटा सन्स (पी) लिमिटेड के पक्ष में सन इंदपुर और ओरघाट गांव में लोह अयस्क के खनन के लिए 147.17 है० सम्मिलित संरक्षित वन का 38.59+13.79 है० डी एल सी वन और 0.36 है० डी एल सी वन और 0.36 है० पी आर एफ	52.74
29	किओरझार जिला, उड़ीसा में मै० केपो इंटरप्राइज्स के पक्ष में ठकुरानी लोह अयस्क खानों के संबंध में लोह अयस्क खनन के लिए 146.73 है० वन भूमि का विपथन	107.02
30	आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में डब्बालमडुगु बागु के पार रिर्जवायर के निर्माण के लिए वन भूमि के 59.62 है० का विपथन	59.62
	कुल	11,033.28

अनुबन्ध 5

आर एफ/पी एफ के रूप में गैर हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित और गैर घोषित

क्रम संख्या	राज्य/यूटी	राज्य कैम्पा के अनुसार प्राप्त गैरवन भूमि	वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/प्रतिवर्तित गैरवन भूमि	आर एफ/पी एफ घोषित गैरवन भूमि (है० में)
1	अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह	112.96	65.11	26.00
2	आंध्रप्रदेश	10,168.63	2,360.39	230.80
3	अरुणाचल प्रदेश	205.86	उ.न.	उ.न.
4	असम	शून्य	शून्य	शून्य
5	बिहार	63.51	2.51	शून्य
6	चण्डीगढ़	8.14	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ़	323.08	शून्य	शून्य
8	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
9	गोवा	28.50	24.10	4.40
10	गुजरात	591.65	591.65	5.43
11	हरियाणा	51.67	51.67	7.77
12	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
13	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
14	झारखण्ड	530.11	530.11	शून्य
15	कर्नाटक	2,231.96	2,231.96	उ.न.
16	केरल	शून्य	शून्य	शून्य
17	मध्यप्रदेश	2,332.49	492.80	शून्य
18	महाराष्ट्र	4,077.99	3,349.07	शून्य
19	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
20	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
21	मिजोरम	17.50	उ.न.	उ.न.
22	ओडिशा	उ.न.	उ.न.	2,238.74 ¹
23	पंजाब	1.51	शून्य	शून्य
24	राजस्थान	1,698.72	914.95	645.32
25	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
26	तमिलनाडू	230.95	226.95	57.01
27	त्रिपुरा	10.95	10.95	शून्य
28	उत्तरप्रदेश	374.23	255.77	61.04
29	उत्तराखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य
30	पश्चिम बंगाल	186.39	186.39	2.80
	कुल	23,246.80	11,294.38	3,279.31

¹ आकड़े छ: मण्डलों से संबंधित हैं।

अनुबन्ध 6

पांच वर्षों की समाप्ति के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द न करना

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मामलों की संख्या	कुल भूमि (है० में)
1	अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह	30	1,464.18
2	अरुणाचल प्रदेश	19	13,837.34
3	असम	26	4,923.76
4	थ्रहार	6	165.88
5	छत्तीसगढ़	57	13,388.58
6	दादर एवं नगर हवेली	3	4.64
7	गोवा	4	70.19
8	गुजरात	116	7,518.89
9	हरियाणा	28	74.37
10	हिमाचल प्रदेश	53	907.29
11	जम्मू-कश्मीर	1	843.63
12	झारखण्ड	13	814.01
13	कर्नाटक	36	1,414.19
14	केरल	5	257.98
15	मध्यप्रदेश	90	1,41,040.58
16	महाराष्ट्र	179	37,328.48
17	मणिपुर	4	288.39
18	मेघालय	2	12.10
19	मिजोरम	6	14,059.48
20	ओडिशा	47	5,648.87
21	पंजाब	45	414.31
22	राजस्थान	110	4,432.09
23	सिक्किम	23	93.86
24	तमिलनाडू	9	191.60
25	त्रिपुरा	41	238.72
26	उत्तरप्रदेश	21	1,459.06
27	उत्तराखण्ड	40	2,938.30
28	पश्चिम बंगाल	8	78.11
	कुल	1,022	2,53,908.88

अनुबन्ध 7

बेल्लारी खनन मामलों से संबंधित फाइलों को लेखापरीक्षा को न देना

क्रम संख्या	प्रस्ताव का नाम	विपथित क्षेत्र (है०)	अनुमोदन का दिनांक
1	मै० कुमार स्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स के पक्ष में संदुर तालुक के यसवंत नगर के आर एम ब्लॉक में लोह अयस्क के खनन के लिए वन भूमि का विपथन	30.80	11/08/1994
2	मै० होथुर ट्रेडर्स के पक्ष में संदुर तालुक के स्वामी मलाई ब्लॉक में लोह अयस्क और मैगनीज अयस्क के लिए खनन लीस का नवीकरण	21.11	13/03/1997
3	मै० एच.जी.रंगन गोवडा के पक्ष में नेब रेंज संदुर तालुक में लोह अयस्क के लिए खनन लीस का नवीकरण	36.50	15/01/1993 21/11/2006 (नवीकरण)
4	एच.आर. गविअप्पा के पक्ष में नलवत्ती गांव संदुर तालुक में लोह अयस्क के लिए खनन लीस का नवीकरण	32	24/10/1994 13/2/2004 (नवीकरण)
5	फाइल सं. एफ सी ए/11.1/105/के ए आर/एम आइ एन मै० भारत माइन्स के पक्ष में नंदीहल्ली गांव संदुर तालुक में लोह अयस्क और मैगनीज अयस्क के लिए खनन लीस संख्या 2045 का नवीकरण	26.20	25/02/1997
6	मै० ट्रीडेंट माइनिंग को लिमिटेड के पक्ष में खनन लीस के नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	5.26	04/07/1997
7	श्री अबुबाकर के पक्ष में नेब ब्लॉक संदुर तालुक में लोह अयस्क के लिए खनन लीस के लिए वन भूमि का विपथन	14	04/12/1994
8	श्री मती वी.एस. पदमावथी के पक्ष में संदुर तालुक में केरियागिनाहल्ली आर एफ पर ओरेंज क्वार्टज के खनन के लिए वन भूमि का विपथन	6.75	02/04/1999
9	मै० मैसूर मिनरल लिमिटेड के पक्ष में लोह अयस्क खनन के लिए सुब्बारायनाहल्ली पर वन भूमि का विपथन	80.93	20/11/2000
10	मै० के. सी. थीम्मा रेड्डी अदोनी (श्री शांतिप्रिया मिनरलस प्राइवेट लिमिटेड) के पक्ष में आर एम ब्लॉक संदुर तालुक में खनन लीस का नवीकरण	80.97	22/02/1999
11	मै० जीनथ ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पक्ष में लोह अयस्क एवं मैगनीज अयस्क के लिए खनन लीस के लिए वन भूमि का विपथन	50	05/01/2004

क्रम संख्या	प्रस्ताव का नाम	विपथित क्षेत्र (है०)	अनुमोदन का दिनांक
12	मै० सिमोर के पक्ष में आर एम ब्लॉक संदुर तालुक और एस एम ब्लॉक में संख्या 1952 का नवीकरण खनन लीस	142.58	6/12/1996 12/03/2007 (नवीकरण)
13	मै० सिमोर के पक्ष में मैगनीज और लोह अयस्क के लिए खनन लीस संख्या 1179 का नवीकरण	1,615.64	11/12/1996 14/03/2007
14	फाइल संख्या-एफसीए/11.1/121/के ए आर/एम आइ मै० विभूतिगुडढा माइन्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में बेल्लारी के बेलागल गांव में लोह अयस्क के लिए खनन लीस संख्या 1193 का नवीकरण	55	22/07/1999
15	फाइल संख्या-एफसीए/11.1/121/के ए आर/एम आइ एन बेल्लारी जिला में पहले से ब्रोकन-अप वन भूमि का 32.38 है० से अधिक मै० गोग्गा गुरुशांथईया एंड ब्रदर्स के पक्ष में खनन लीस संख्या 2093 का नवीकरण	32.38	07/08/2003
16	फाइल संख्या-एफसीए/11.3/121/के ए आर/एम आइ एन मै० रामगढ मिनरल एंड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में खनन लीस संख्या 622 के नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	20.23	16/03/2005
17	फाइल संख्या-एफसीए/11.3/124/के ए आर/एम आइ एन बेल्लारी जिला में मै० मैसूर मिलरल लिमिटेड के पक्ष में खनन लीस के नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	78.50	18/04/2001
18	फाइल संख्या-एफसीए/11.3/131/के ए आर/एम आइ एन मै० एस वी रीनिवासुलु के पक्ष में खनन लीस संख्या 1634 का नवीकरण	60	02/02/2005
19	फाइल संख्या-एफसीए/11.3/131/के ए आर/एम आइ एन श्री पी.वेंगन्ना शेट्टी एंड ब्रदर्स के पक्ष में नेब रेंज संदुर तालुक में लोह अयस्क खनन के लिए खनन लीस संख्या 1046 का नवीकरण	50	16/03/2005
20	फाइल संख्या-एफसीए/11.2/142/एम आइ एन बेल्लारी जिला में श्री वी.एन.के. मेनन के पक्ष में मैगनीज के लिए खनन लीस संख्या 1676 का नवीकरण	22.45	25/07/2003
21	बेल्लारी जिला में मै० गोग्गा गुरुशांथईया एंड ब्रदर्स के पक्ष में खनन लीस संख्या 2093 के नवीकरण के लिए पहले से ही अनुमोदित प्रस्ताव पहले से ही ब्रोकन-अप वन भूमि के 32.38 है० के विपथन के लिए के संबंध में 10.52 है० वन भूमि का विपथन	10.52	05/07/2006

क्रम संख्या	प्रस्ताव का नाम	विपथित क्षेत्र (है०)	अनुमोदन का दिनांक
22	मै० वी.एस.लैड एंड संस के पक्ष में खनन लीस संख्या 1554 के पहले से ही अनुमोदित प्रस्ताव के संबंध में 15.077 है० अतिरिक्त वन भूमि (ओ बी डम्प के लिए 2.47 है० + रोड़ के लिए 11.46 है० + वाहक पट्टी की स्थापना के लिए 0.877 है०) का विपथन	15.07	03/09/2007
23	फाइल संख्या-के आर ए 208/2006/बी ए एन मै० अश्वत्था नारायण सिंह एंड को के पक्ष में संदुर रेंज के एन ई ब्लॉक में आयरन और खनन लीस संख्या 626 के नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	56.50	04/07/2006
24	लीस के नवीकरण के लिए श्रीमती आर मलम्मा (आर पम्पापथी) के पक्ष में पहले से विपथित 101.50 है० वन भूमि के संबंध में अतिरिक्त 4.2 है० वन भूमि (रोड़ के लिए 4 है० और मैंगजीन बिल्डिंग 0.2 है०) का विपथन	4.20	03/07/2007
25	संदुर तालुक में ए एम मिनरल्स के पक्ष में का निस्कर्षण	2.03	10/07/1997
26	श्री मती के एम परवथम्मा के पक्ष में खनन लीस संख्या 1625 का नवीकरण	15.24	01/06/1999
27	बेल्लारी जिला, संदुर तालुक का एस.एम ब्लॉक, धर्मपुरा गांव में 23.75 है० बढ़ाने के लिए श्री एच जी रंगनागोवडा, होसपेट के पक्ष में लीस का ग्रांट	23.75	07/12/2006
28	बेल्लारी जिला, संदुर तालुक का एस.एम ब्लॉक मै० रामगढ़ मिनरल्स 26.36 है० (24.28 है० पहले से ही ब्रोकन-अप क्षेत्र और मौजूदा रोड़ के उपयोग के लिए 2.08 है०) के पक्ष में अयस्क खानों के लिए खनन लीस संख्या 1894 का नवीकरण	26.36	11/12/2006
29	होसपेट में खनन लीस संख्या 1028 के लिए वन भूमि का विपथन	15.10	25/08/2006

अनुबन्ध 8

गोवा खनन मामलों से संबंधित फाइलों को लेखापरीक्षा को न देना

क्रम संख्या	प्रस्ताव का नाम/फाइल संख्या	विपथित क्षेत्र (है० में)
1	श्री नूर मोहम्मद अब्दुल करीम के पक्ष में लोह अयस्क खनन लीस टी सी सं. 43/53 के लिए वन भूमि का विपथन	9.40
2	वी.एम. सालगाओकर एंड ब्रदर्स लिमिटेड के पक्ष में डीमड खनन लीस संख्या 29/54 का नवीकरण	11.31 27.98 (नवीकरण)
3	वी.एम. सालगाओकर एंड ब्रदर्स लिमिटेड के पक्ष में डीमड खनन लीस संख्या 21/54 का नवीकरण	15.08 24.98 (नवीकरण)
4	फाइल न. एफ ओ ए/11.3/21/गोवा मै० आत्मा राम पोई पेलोनडिकर के पक्ष में संगुडम तालुका के कोलोम्बा एवं सपरन गांव में टी सी संख्या 17/49 के अन्तर्गत लोह एवं मैग्नीज अयस्क के निस्कर्षण के लिए खनन लीस के नवीकरण के लिए दक्षिण गोवा में वन भूमि का विपथन	44.69 34.18 (नवीकरण)
5	फाइल नं. जी ओ सी 377/2007 बी ए एन श्री अजीत वी एम कादनेकर के पक्ष में कुरपम तालुका में मैना/केवरम गांव पर स्थित आयरन अयस्क खनन लीस टी सी संख्या 12/53 के लिए वन भूमि का विपथन	14.34
6	मै० सोवा के पक्ष में लोह अयस्क खनन के लिए वन भूमि का विपथन	44.92 80.22 (नवीकरण)
7	वी.एम. सालगाओकर एंड ब्रदर्स लिमिटेड के पक्ष में लोह अयस्क ओपन कास्ट खनन के लिए डीमड खनन लीस संख्या 13/55 का नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	35.15 56.236 (नवीकरण)
8	श्री जे एन अग्रवाल के पक्ष में लोह अयस्क खनन लीस के लिए वन भूमि का विपथन	67.859 78.23 (नवीकरण)
9	मै० सोसाईडेड फोमेंटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में डीमड खनन लीस संख्या 88/52 का नवीकरण का विपथन	88.60
10	मै० वी एस डेम्पों एंड को० के पक्ष में खनन लीस संख्या 35/1952 के नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	64.75
11	मै० वी एस डेम्पों एंड को० के पक्ष में खनन लीस संख्या 3/51 के नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	84.62 84.62 (नवीकरण)
12	मै० वी एस डेम्पों एंड को० के पक्ष में खनन लीस संख्या 40/1954 के नवीकरण के लिए वन भूमि का विपथन	51.00 51.00 (नवीकरण)

अनुबन्ध 9

अन्तरलेखा अन्तरण के मामले

(₹ करोड़ में)

दिनांक	राशि	खाता जिससे धन अन्तरित किया गया	खाता जिसको धन अन्तरित किया गया	अभ्युक्तियां
15/09/2006	100.00	सीईसी खाता	छत्तीसगढ़	
20/10/2006	0.28	छत्तीसगढ़	अरुणाचल प्रदेश	
04/11/2006	200	सीए खाता	छत्तीसगढ़	
16/11/2006	0.42	उत्तरांचल	केरल	
05/01/2007	5.78	मध्य प्रदेश	राजस्थान	
12/05/2007	0.02	मध्य प्रदेश	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	इस दिनांक को अण्डमान निकोबार के पास केवल ₹ 1.05 करोड़ थे इसलिए ₹ 2.00 लाख अस्थाई रूप से एमपी खाते से विपथित किए जाने थे। इसमें आगे यह भी कहा था कि जैसे ही अ.नि द्वारा कोई जमा किया जाता है तो यह ₹ 2.00 लाख की राशि एमपी को वापस जमा की जाएगी।
04/07/2007	51.11	सीईसी खाता	ए.पी.	
31/07/2007	39.14	सीईसी खाता	ए.पी.	
05/09/2007	0.02	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	एम.पी	
10/01/2008	22.69	बिहार	पंजाब	
11/02/2008	0.55	पंजाब	हिमाचल प्रदेश	निवेश के दिनांक को पंजाब खाते में अपर्याप्त शेष होने के कारण हिमाचल प्रदेश से पंजाब को ₹ 54.86 लाख 30.01.08 को अन्तरित किए गए थे
12/04/2008	111.16	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	
01/05/2008	0.06	छत्तीसगढ़, त्रिपुरा तथा प्रबन्धन खर्च	हरियाणा	
06/05/2008	0.32	छत्तीसगढ़	अरुणाचल प्रदेश	
06/10/2008	24.88	स्रोत ज्ञात नहीं	झारखण्ड	
31/01/2009	10.41	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	
24/04/2009	0.35	गोवा	दादरा एवं नगर हवेली	

दिनांक	राशि	खाता जिससे धन अन्तरित किया गया	खाता जिसको धन अन्तरित किया गया	अभ्युक्तियां
18/05/2009	28.37	हिमाचल प्रदेश	छत्तीसगढ़	
18/05/2009	11.35	मेघालय	हिमाचल प्रदेश	दिनांक 12.05.2009 के पत्र के अनुसार ठीक प्रविष्टि
18/05/2009	14.81	उत्तरांचल	उत्तरांचल	
26/05/2009	0.53	केरल	उत्तरांचल	
04/07/2009	1.97	अरुणाचल प्रदेश	ए.पी.	
24/08/2009	82	महाराष्ट्र	उत्तरांचल	
26/08/2009	24	उत्तरांचल	महाराष्ट्र	
08/10/2009	14.73	झारखण्ड	ए.पी.	
08/10/2009	6.84	महाराष्ट्र	ए.पी.	
10/10/2009	0.17	दादरा एवं नगर हवेली	ए.पी.	
05/11/2009	38.11	उत्तर प्रदेश	ए.पी.	
11/12/2009	25.14	राजस्थान	ए.पी.	
11/12/2009	1.81	तमिलनाडू	ए.पी.	
14/01/2010	7.91	बिहार	ए.पी.	
14/01/2010	5.41	पश्चिम बंगाल	ए.पी.	
14/01/2010	122.46	दिल्ली	राजस्थान	
14/01/2010	1.12	अण्डमान एवं निकोबार	ए.पी.	
01/02/2010	2.92	त्रिपुरा	ए.पी.	
17/02/2010	0.074	त्रिपुरा	ए.पी.	
17/02/2010	59.62	उत्तरांचल	महाराष्ट्र	
07/04/2010	0.04	झारखण्ड	मणिपुर	
07/04/2010	0.27	झारखण्ड	पश्चिम बंगाल	
07/04/2010	0.39	झारखण्ड	बिहार	
07/04/2010	0.01	झारखण्ड	चण्डीगढ़	
07/04/2010	0.96	झारखण्ड	हरियाणा	
07/04/2010	2.48	झारखण्ड	कर्नाटक	
07/04/2010	0.41	झारखण्ड	सिक्किम	

दिनांक	राशि	खाता जिससे धन अन्तरित किया गया	खाता जिसको धन अन्तरित किया गया	अभ्युक्तियां
07/04/2010	0.62	झारखण्ड	दिल्ली	
07/04/2010	0.01	झारखण्ड	दादरा एवं नगर हवेली	
07/04/2010	1.25	झारखण्ड	गुजरात	
07/04/2010	2.65	मध्यप्रदेश	सीईओ के लेखे	
07/04/2010	0.26	पश्चिम बंगाल	सीईओ के लेखे	
07/04/2010	2.35	उत्तर प्रदेश	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	4.08	उत्तरांचल	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	1.62	राजस्थान	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.39	बिहार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	2.92	कर्नाटक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	4.75	झारखण्ड	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.96	हरियाणा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.34	आसाम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	6.16	छत्तीसगढ़	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.18	त्रिपुरा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	1.83	एच.पी.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.82	अरुणाचल प्रदेश	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.05	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.40	सिक्किम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	6.55	ओडिशा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	

दिनांक	राशि	खाता जिससे धन अन्तरित किया गया	खाता जिसको धन अन्तरित किया गया	अभ्युक्तियां
07/04/2010	0.61	दिल्ली	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.0084	दादरा एवं नगर हवेली	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	1.24	गुजरात	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.08	केरल	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	4.46	महाराष्ट्र	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
07/04/2010	0.0088	चण्डीगढ़	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाता	
17/04/2010	0.54	गोवा	झारखण्ड	
14/06/2010	0.27	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	
09/07/2010	0.25	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	
02/08/2010	0.04	मणिपुर	झारखण्ड	
02/08/2010	62.14	तमिलनाडू एवं आन्ध्र प्रदेश	झारखण्ड	
02/08/2010	61.49	ए.पी.	झारखण्ड	
02/08/2010	37.01	उत्तरांचल	असम	
13/09/2010	1.96	उत्तरांचल	चण्डीगढ़	
13/09/2010	14.39	हिमाचल प्रदेश	झारखण्ड	
13/09/2010	0.20	तमिलनाडू	झारखण्ड	
19/10/2010	2.86	हिमाचल प्रदेश	महाराष्ट्र	
	1,246.84			

अनुबन्ध 10
दिसम्बर 2012 तक लेखों के तैयार होने की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/यूटी	लेखा फारमेट
1	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए ।
2	आंध्रप्रदेश	वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार किए गए। वर्ष 2011-12 के लेखे लेखापरीक्षा की प्रस्तुत नहीं किए गए।
3	अरुणाचल प्रदेश	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।
4	असम	वर्ष 2009-10 के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए। वर्ष 2010.11 के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार किए गए।
5	बिहार	वर्ष 2010 - 11 एवं 2011-12 के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
6	चण्डीगढ़	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
7	छत्तीसगढ़	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे अभी तक निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
8	दिल्ली	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे अभी तक निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
9	गोवा	वर्ष 2009-10 से 2011-12 के निर्धारित फारमेट में अभी तक तैयार नहीं किए गए।
10	गुजरात	वर्ष 2009 से 2011-12 तक के लेखे अभी तक, निर्धारित फारमेट में तैयार किए गए।
11	हरियाणा	वर्ष 2010 -11 एवं 2011-12 के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए
12	हिमाचल प्रदेश	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे अभी तक निर्धारित फारमेट में तैयार नही किए गए।
13	जम्मू तथा कश्मीर	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे अभी तक निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।
14	झारखण्ड	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
15	कर्नाटक	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
16	केरल	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
17	मध्यप्रदेश	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेने अभी तक तैयार नहीं किए गए।
18	महाराष्ट्र	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए ।
19	मणिपुर	वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए। वर्ष 2011-12 के लेखे अभी तक तैयार नहीं किए गए।
20	मेघालय	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।

क्र.सं.	राज्य/यूटी	लेखा फारमेट
21	मिजोरम	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।
22	ओडिशा	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।
23	पंजाब	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।
24	राजस्थान	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।
25	सिक्किम	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में लेखा तैयार नहीं किए गए।
26	तमिलनाडु	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे अभी तक तैयार नहीं किए गए।
27	त्रिपुरा	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
28	उत्तरप्रदेश	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए और सीए द्वारा लेखापरीक्षित थे।
29	उत्तराखण्ड	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।
30	पश्चिम बंगाल	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के लेखे निर्धारित फारमेट में तैयार नहीं किए गए।